प्रेस नोट दिनांक 24.11.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़

थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय से जारी गैर जमानतीय वारण्ट (NBW) से संबंधित 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

आज दिनांक 24.11.2026 को थाना संग्रामगढ़ के उ0नि0 सरनाम सिंह मय हमराह का0 शिवम कुमार एवं का0 अरुण कुमार द्वारा मा0 न्यायालय अपर सिविल जज (जूनियर डिविजन, कक्ष संख्या-24), सदर प्रतापगढ़ द्वारा जारी गैर जमानतीय वारण्ट (NBW) संबंधित मु0अ0सं0 92(A)/2001 धारा 323/504/506 भादवि से संबंधित वारण्टी अभियुक्त रामसेवक पुत्र रघू पटेल निवासी ग्राम नया पुरवा लालू पट्टी, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 60 वर्ष को दिनांक 24.11.2026 को उसके घर ग्राम नया पुरवा लालू पट्टी से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का विवरण-
1. रामसेवक पुत्र रघू पटेल निवासी ग्राम नया पुरवा लालू पट्टी, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 60 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 सरनाम सिंह मय हमराह का0 शिवम कुमार, का0 अरुण कुमार थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

अपहरण एवं दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा अपहरण एवं दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गुड्डू सरोज को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिव नारायन वैस के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी मानिकपुर के नेतृत्व में थाना मानिकपुर के उ0नि0 विनीत

कुमार मय हमराह का0 आशुतोष द्विवेदी एवं म0का0 रागिनी पटेल द्वारा कार्तिक पूर्णिमा मेला/गंगा स्नान के अवसर पर ज्वाला देवी मंदिर पर शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था तथा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना मानिकपुर पर पंजीकृत अ न्तर्गत धारा 87/137(2)/64(1) बीएनएस व 5/6 पॉक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त गुड्ड सरोज पुत्र नन्हे उर्फ नन्हे लाल सरोज निवासी ग्राम उचंगांव ऐमा अस्भौं थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत भानापुर मोड़ के पास अण्डे की दुकान के निकट से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. गुड्ड सरोज पुत्र नन्हे उर्फ नन्हे लाल सरोज निवासी ग्राम उचंगांव ऐमा अस्भौं थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 विनीत कुमार मय हमराह का0 आशुतोष द्विवेदी एवं म0का0 रागिनी पटेल, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त अबुल हसन को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस के उ0नि0 अतुल यादव मय हमराह का0 संतोष यादव एवं का0 रामकेश यादव द्वारा माननीय न्यायालय अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन), कक्ष संख्या-21 द्वारा निर्गत गैर जमानतीय वारण्ट (NBW) सम्बन्धित CR No. 18098/2023 व मु0अ0सं0 30/2023 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वारण्टी अभियुक्त अबुल हसन पुत्र जमीलुद्दीन निवासी ग्राम सराय बहेलिया थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 36 वर्ष को उसके घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
अबुल हसन पुत्र जमीलुद्दीन निवासी ग्राम सराय बहेलिया थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 36 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 अतुल यादव मय हमराह का0 संतोष यादव एवं का0 रामकेश यादव, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

हत्या की घटना में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ पर दिनांक 21.11.2026 को वादी दिनेश कुमार वर्मा पुत्र स्व0 हरीलाल वर्मा निवासी ग्राम कल्यानपुर मौरहा थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ द्वारा अपने पिता की गला दबाकर हत्या किए जाने के संबंध में पत्नी संगीता वर्मा, पुत्री अंशिका वर्मा एवं चन्द्रप्रकाश सिंह उर्फ चन्दू ओझा निवासी ग्राम नरी थाना अन्तू के विरुद्ध जमीन के विवाद को लेकर षड्यंत्रपूर्वक हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी गई, जिसके आधार पर मु0अ0सं0 296/2026 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अन्तू पुलिस टीम उ0नि0 अंकुर कैथवास मय हमराह का0 संजय कुमार, का0 विशाल कुमार (चालक) तलाश एवं पतारसी-सुरागरसी में मामूर थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमे में वांछित अभियुक्त चन्द्रप्रकाश सिंह उर्फ चन्दू ओझा शुकुलपुर तिराहे से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
चन्द्रप्रकाश सिंह उर्फ चन्दू ओझा पुत्र जयनारायण सिंह, उम्र करीब 56 वर्ष, निवासी ग्राम नरी, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 अंकुर कैथवास मय हमराह का0 संजय कुमार, का0 विशाल कुमार (चालक), थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा दहेज हत्या के प्रकरण में वांछित 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना फतनपुर के उ0नि0 शिशिर पटेल मय हमराह का0 ओमप्रकाश पाल एवं

म0आ0 आयुषी मिश्रा द्वारा क्षेत्र में देखभाल एवं संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 245/2026 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्ता मालती देवी पत्नी स्व0 शिवशंकर पाल निवासी ग्राम आशापुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष को आशापुर नहर पुलिया के पास से दिनांक 24.11.2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्ता द्वारा पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया गया, जिसे महिला पुलिसकर्मी की मदद से घेरकर पकड़ लिया गया। अभियुक्ता को गिरफ्तारी का कारण बताते हुए नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-
01 मालती देवी पत्नी स्व0 शिवशंकर पाल निवासी ग्राम आशापुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 50 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 शिशिर पटेल मय हमराह का0 ओमप्रकाश पाल एवं म0आ0 आयुषी मिश्रा, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

युवती को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लालगंज पुलिस टीम द्वारा 02 वांछित अभियुक्तों को जनपद फरीदाबाद, हरियाणा से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पूरे बक्शू हरनाहर में दिनांक 15.09.2026 को सुबह करीब 09:00 बजे 25 वर्षीय शिवांगी गुप्ता अपने घर के अंदर फांसी के फंदे से लटकी हुई मिली थीं। उक्त प्रकरण में पूर्व में पंचायतनामा की कार्यवाही की गई थी। बाद में दिनांक 24.09.2026 को मृतका के भाई एवं वादी श्रवण गुप्ता द्वारा किताबों से सुसाइड नोट प्राप्त होने के आधार पर विकाश, शालू एवं ललित को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का आरोप लगाते हुए लिखित तहरीर दी गई, जिसके आधार पर थाना लालगंज पर मु0अ0सं0 369/2026 धारा 108 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना लालगंज पुलिस टीम द्वारा तलाश एवं पतारसी-सुरागरसी की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि अभियोग में वांछित अभियुक्त ललित चतुर्वेदी एवं विकास मिश्रा गिरफ्तारी से बचने

के लिए जनपद फरीदाबाद, हरियाणा में अपनी रिश्तेदारी में राहुल पाठक निवासी गाजीपुर रोड के यहां छिपकर रह रहे हैं। सूचना पर उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए पुलिस टीम मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंची, जहां एक बर्तन की दुकान पर मौजूद दोनों अभियुक्तों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1-ललित चतुर्वेदी पुत्र शिव किशोर, उम्र करीब 21 वर्ष, निवासी ग्राम बिछन्द पहाड़पुर, थाना जैथरा, जनपद एटा।
2-विकास मिश्रा पुत्र अरविंद मिश्रा, उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी ग्राम नगला पंचम, थाना जसरथपुर, जनपद एटा।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 ध्रुव सिंह मय हमराह का0 दुर्गा प्रसाद यादव, का0 विकास चौधरी, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।

हत्या के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्ता गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मान्धाता पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़ पर दिनांक 22.11.2026 को वादिनी संगीता देवी निवासी ग्राम बलापुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ द्वारा अपने भाई शिवराम पटेल निवासी ग्राम अहिना थाना मांधाता को दिनांक 20.11.2026 को सुबह करीब 07:00 बजे पत्नी रूपा देवी से संबंधित विवाद को लेकर राज बहादुर पटेल, हरिश्चन्द्र पटेल एवं 03 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कुटुलिया चौराहे से जबरन ले जाकर बंधक बनाकर मारपीट करने तथा रात्रि करीब 12:00 बजे मरणासन्न अवस्था में घर के सामने छोड़ देने के संबंध में तहरीर दी गई। दिनांक 21.11.2026 को जिला अस्पताल प्रतापगढ़ में शिवराम पटेल द्वारा घटना की जानकारी दी गई तथा दिनांक 22.11.2026 को उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, जिसके संबंध में कोतवाली नगर प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा पंचायतनामा की कार्यवाही की गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 168/2026 धारा 191(2), 105, 127(2), 61(2)(क) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

थाना मान्धाता पर पंजीकृत मु0अ0सं0 168/2026 धारा 191(2), 105, 127(2), 61(2)(क), 115(2), 3(5) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्ता रूपा पत्नी शिवराम पटेल उर्फ मंगल निवासी ग्राम अहिना

(भग्गू की बाग), थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष को पुलिस टीम द्वारा उसके घर से दिनांक 24.11.2026 को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-
01- रूपा पत्नी शिवराम पटेल उर्फ मंगल निवासी ग्राम अहिना (भग्गू की बाग), थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अरविन्द कुशवाहा मय हमराह का0 पंकज कुमार, रि0का0 सचिन यादव, म0का0 प्रीती मिश्रा एवं रि0म0का0 पूजा यादव, थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।